संख्या-6/2019/4153/सैंतीस-2-2018-1(41)/05

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम. बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
(अंकित विवरणानुसार)
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनाँक-23 जनवरी, 2019

विषयः- **मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक-14.08.2018 को प्रदेश के विधान सभा क्षेत्रों में पशुचिकित्सालयों की स्थापना से सम्बन्धित की गयी घोषणा के अनुपालन में चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में पशुचिकित्सालयों का निर्माण (जि.यो.) में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-437/सा0-1/एक्स-120(187)/प.चि.स्था./2018-19, दिनांक-07.12.2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक-14.08.2018 को प्रदेश के विधान सभा क्षेत्रों में पशुचिकित्सालयों की स्थापना हेतु से सम्बन्धित की गयी घोषणा के अनुपालन में चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-03-पशुचिकित्सालयों का निर्माण (जि.यो.) के मानक मद 24-वृहत् निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0-40.17 लाख प्रति पशुचिकित्सालय की दर से जनपद-बिजनौर, अलीगढ़, मथुरा, बाराबंकी, बलरामपुर एवं सोनभद्र, जहाँ पर पशुचिकित्सालय के निर्माण हेतु चयनित भूमि पशुपालन विभाग के नाम पुनर्ग्रहीत हो चुकी है, में निम्नलिखित 06 अनावासीय नवीन पशुचिकित्सालयों का निर्माण कराये जाने हेतु कुल रू0-241.02 लाख (रूपये दो करोड़ इकतालिस लाख दो हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैः-

क्र0	जनपद का नाम	प्रस्तावित स्थल/ग्राम	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
1	बिजनौर	ग्राम सभा अखेड़ा, विकासखण्ड नहटौर	40.17
2	अलीगढ़	ग्राम गंज ग्राम पंचायत भरतुआ, विकासखण्ड धनीपुर	40.17
3	मथुरा	ग्राम सभा जरारा, विकासखण्ड मॉट	40.17
4	बाराबंकी	ग्राम लालपुर राजपुर, विकासखण्ड बनीकोडर	40.17
5	बलरामपुर	हुसेनाबाद, विकासखण्ड गैंडाज बुजुर्ग	40.17
6	सोनभद्र	ग्राम बैरपुर, विकासखण्ड चोपन	40.17
योग-			**241.02**

(रूपये दो करोड़ इकतालिस लाख दो हजार मात्र)

1. उपरोक्त पशुचिकित्सालयों के निर्माण कार्य हेतु "उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकफेड)" को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं जमा किया जायेगा।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि से निर्माण संबंधी कार्य चयनित/निर्धारित कार्यदायी संस्था से कराया जायेगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्माण संबंधी संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार/निर्धारित मानकों के अधीन ही किया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को धनराशि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक-30 मार्च, 2018 में निहित व्यवस्थानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टयों एवं मानक के अनुसार गुणवत्ता पूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा। निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार हो तथा उसकी गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि/श्रेणी की हो, इसका पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा। समय-समय पर स्थलीय अनुश्रवण कर कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण हो, यह सुनिश्चित कराये जाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी/निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।
6. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जाय।
7. उक्त वित्तीय स्वीकृति के संबंध में यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक-30.03.2018 तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक-06.06.1994 में निर्दिष्ट शर्तों/व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 की जिला योजनाओं के लिये जनपदवार परिव्यय निर्धारित होने के उपरान्त जारी की गयी स्वीकृतियों को आवंटित परिव्यय में समायोजित कराते हुए यथावश्यकता जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये, यह सुनिश्चित किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी/निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।
10. स्वीकृत धनराशि का व्यय उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
11. प्रायोजना में मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता का होगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-"4403-पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-03-पशुचिकित्सालयों का निर्माण (जि.यो.)-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-1-48/दस-2019, दिनांक-14.01.2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ0 सुधीर एम. बोबडे)
प्रमुख सचिव।

<u>पृ0सं0-6/2019/4153(1)/सैंतीस-2-2018- तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (रो.नि.), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकफेड), गोमती नगर, लखनऊ।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी/सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in